– निविदा सूचना–
(उ0प्र0 सरकार पुलिस विभाग)

सूचित किया जाता है कि पुलिस विभाग मे वित्तीय वर्ष 2016–17 के अर्न्तगत श्री काशी विश्वनाथ मंदिर / ज्ञानवापी मस्जिद परिसर सुरक्षा मे लगे मोर्चो की रंगाई पोताई एवं मरम्मत का कार्य कराये जाने हेतु टेन्डर (निविदा) दिनांकः 12 .07. 23016 को आमंत्रित किये जाते है। टेन्डर के कार्य हेतु एक प्रतिशत की दर से अर्नेस्टमनी जमा किया जाना होगा। अर्नेस्टमनी न दिये जाने पर टेन्डर पर कोई विचार नही किया जायेगा ।

उक्त कार्यो के नक्शे कार्य का निर्धारित प्रारूप अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उसके खुले रहने के किसी भी दिन प्रात 10:00 बजे से सायंकाल 04:00 बजे तक देखे जा सकते है।

2– टेण्डर ऐसे लिफाफे में जिन पर टेन्डर शब्द प्रमाणित किया गया हो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय मे दिनांकः 12.07.2016 के दोपहर 02:00बजे तक दिये जा सकते है.। विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जायेगा। टेण्डर फार्म अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उसके खुले रहने के किसी भी दिन प्रातः10:00बजे से सायंकाल 04:00 बजे तक रूपये–100/– की दर से जमा करके निर्धारित तिथि के पूर्व सायंकाल 04:00बजे तक प्राप्त किये जा सकते है। टेण्डर अधोहस्ताक्षरी अथवा क्षेत्राधिकारी भवन व किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसी दिन अपरान्ह में खोले जायेगे।

3– उस व्यक्ति जिसका टेण्डर अस्थायी रूप से स्वीकार कर लिया जायेगा,को सूचना दिये जाने के उपरान्त तत्काल कार्यालय मे उपस्थित होकर अग्रिम कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। ऐसा न करने पर उसकी अर्नेस्टमनी जब्त कर ली जायेगी तथा टेण्डर की स्वीकृति रद्द कर दी जायेगी। यह आवश्यक है कि जिस व्यक्ति का टेण्डर अस्थायी रूप से स्वीकार कर लिया जाय वह अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित की गयी तिथि से कार्य प्रारम्भ कर दें,एवं समय से समाप्त कर दे। जिन फर्म/ठेकदार की निविदा स्वीकृत की जायेगी उन्हें 03दिवस के अन्दर निर्धारित एग्रीमेन्ट/स्टाम्प ड्यूटी तथा जमानत धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा,। कार्यादेश मे दिये गये निर्देश के अनुसार कार्य निर्धारित अवधि मे आगणन के अनुरूप पूर्ण करना होगा, विलम्ब से कार्य पूर्ण होगें। विलम्ब से कार्य पूर्ण करने पर 500रू0 प्रतिदिन की दर निर्धारित किये गये फाईन को अदा करना होगा।

4– उ0प्र0पुलिस के परिक्षेत्रीय कार्यालय/जोनल कार्यालय से पंजीकृत ठेकेदारों को ही टेण्डर फार्म प्रदान किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा निविदा के साथ अपने फर्म के आयकर रिटर्न ,रजिस्ट्रेशन,चरित्रप्रमाण–पत्र/हैसियत प्रमाण–पत्र आदि संलग्न करना होगा।

5– उ0प्र0 शासन द्वारा अनुसूचित जाति/जन जाति के निर्धारित कोटे के अनुसार उक्त वर्ग के ठेकेदारों हेतु कार्य आरक्षित है,अतएव अनुसूचित जाति/जन जाति के ठेकेदारों को जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6– प्रत्येक कार्य के लिए अलग–अलग निविदा दिया जायेगा तथा अधोहताक्षरी को बिना कारण बताये सम्पूर्ण निविदा निरस्त किये जाने का अधिकार होगा

7– अधोहस्ताक्षरी न्यूनतम टेण्डर एग्रीमेन्ट में निहित शर्तो को स्वीकार करने तथा किसी टेण्डर को अस्वीकार करने के लिये कारण प्रस्तुत करने को बाध्य नही होगे। जिस व्यक्ति अथवा फर्म का टेण्डर स्वीकार कर लिया जायेगा, उसे टेण्डर की धनराशि पर 10 प्रतिशत जमानत धनराशि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,वाराणसी के नाम से धरोहर कराकर तुरन्त जमा करना होगा,यदि जमानत धनराशि एन0एस0सी0 अथवा किसी बचत पत्र के रूप में जमा की जाती है तो उसपर 62.50 रूपये प्रति हजार की दर से तथा नगद जमा करने पर 25 रूपये प्रति हजार की दर से स्टैम्प शुल्क देना अनिवार्य होगा।

पत्र संख्याःज्ञ– 12/2015

दिनांकः जून 28,2016

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
वाराणसी।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अपने अपने क्षेत्रो मे व्यापक प्रचार–प्रसार कराने के संबंध मे आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1–जिलाधिकारी वाराणसी/गाजीपुर/आजमगढ/जौनपुर/बलिया/मिर्जापुर
2 पुलिस अधीक्षक,जौनपुर/गाजीपुर/चन्दौली/आजमगढ/बलिया/मिर्जापुर।
3–परिक्षेत्रीय अवर अभियन्ता वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी।
4–पुलिस अधीक्षक, सुरक्षा /क्षेत्राधिकारी भवन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5–प्रतिसार निरीक्षक को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ कि निविदा प्रकिया की कार्यवाही समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित करे ।
6–ठेकेदार श्री दास बदर्स,निवासी–10 कैण्ट,वाराणसी, ठेकेदार श्री जयुनाथ प्रसाद, चौबेपुर वाराणसी ।
7–ठेकेदार श्री संदीप कुमार निवासी–सिरगोवधन,वाराणसी, श्री राम चन्दर प्रसाद एल–3/37 गौतमबुद्ध पहडिया वाराणसी।
8– श्री माता प्रसाद सीके–65/401–बी बडी पियरी वाराणसी ।
9– श्री दूधनाथ सिंह चौहान ग्राम पहडिया नरपतपुर चौबेपुर वाराणसी ।
10– प्रधानलिपिक पुलिस कार्यालय वाराणसी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
11–प्रभारी सीसीटीएन को इस निर्देश के साथ कि निविदा विवरण पुलिस वेबसाईड पर नियमानुसार प्रकाशित करने का कष्ट करे ।

प्रभारी CCTNS कृ0 नोटकर आव0 कार्य0 करें।
28/6